

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार


क्रमांक : एफ-33/पी.सी./ए.क्यू.सी.90/ डी-27

दिनांक: 16.03.2018

विषय श्री रामचन्द्र, विधायक, द्वारा पूछे गये विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 90  
दिनांक 20.03.2018 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(क) धार्मिक आयोजनों और सामान्य जनता और राष्ट्रीय समारोहों के लिए प्रयोग हेतु मोबाइल टॉयलेट किराये पर देने से पिछले दस वर्षों में कितनी धनराशि एकत्रित हुई;	रूपये -74.64 लाख
(ख) ऐसी ट्रांजैक्शन्स का ब्यौरा रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के पद नामों का विवरण क्या है;	सम्बन्धित अधिशासी अभियंता ( विधुत) खण्ड एवं मुख्यालय वित्तीय विभाग द्वारा विवरण रखा जाता है।
(ग) मोबाइल टॉयलेट वैनस को किराये पर देने पर डीयूएसआईबी द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;	टॉयलेट वैन चालू हालत में लगाया तथा समारोह के बाद हटाया जाता है।
(घ) पिछले दस वर्षों में मोबाइल टॉयलेट वैनस को किराये पर देने से हुई आय का विवरण क्या है;	रूपये -74.64 लाख
(ङ) पिछले बीस वर्षों में मोबाइल टॉयलेट वैनस विभिन्न धार्मिक/राष्ट्रीय/सामाजिक/निजी समारोहों से किराये के रूप में चार्ज धनराशि और इस अवधि में चार्ज में किए गए संशोधन की जानकारी भी उपलब्ध की जाये;	उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 से पूर्व, पहले दिन का किराया 3900 रुपये तत्पश्चात् 500 रुपये और वर्ष 2014 के बाद पहले दिन का किराया 8400 रुपये तत्पश्चात् 1050 रुपये प्रतिदिन।
(च) डीयूएसआईबी के मोबाइल टॉयलेट और इनके रख रखाव पर वर्ष 2010 से व्यय की गयी राशी का विवरण क्या है; और	कुल व्यय राशि रूपय 294.16 लाख।
(छ) वर्ष 2010 से कम्युनिटी कन्वीनीएन्सेज के लिए डीयूएसआईबी द्वारा स्थापित डब्ल्यूसी सीटस सहित प्रिफेब टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेज पर आये कैपिटल एक्सपेंडिचर सहित रखरखाव के खर्च का विवरण क्या है?	इसकी सूचना विभिन्न विभागों से एकत्रित करने हेतु 30 दिन का समय प्रदान किया जाय।

यह उत्तर सक्षम आधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

  
उप निदेशक (संसद प्रकोष्ठ)